8-3-18	वकील वादी उपस्थित वास्ते अन्य साक्ष्य अवसर चाहा गया वास्ते अन्य साक्ष्य पत्रावली 4-4-18 को पेश हो।
4-4-18	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 3-5-18 को पेश हों।
24-5-18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

वाद सं. 65/दावा/14 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा RAS

दायरा दिनांक–11.11.14

उनवान

1. गोबरीलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री कान्हा जाति मीणा निवासी खेडली देवजी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. लडडूलाल आयु 58 आत्मज धन्ना जाति मीणा निवासी खेडली देवजी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।
2. श्री छोटूलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री धन्ना जाति मीणा निवासी खेडलीदेवजी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।
3. श्री मुकुट बिहारी आयु 52 वर्ष आत्मज श्री धन्ना जाति मीणा निवासी खेडलीदेवजी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।
4. राजेन्द्र कुमार आयु 45 वर्ष आत्मज श्री धन्ना जाति मीणा निवासी खेडलीदेवजी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।

–प्रतिवादीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक–24.05.2018

वादी द्वारा वाद जर्ये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 88,92ए आर.टी.ए. पेश किया गया। वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है–

यह कि खाता संख्या 8 की कृषिभूमियां ख. सं. 150 रकबा 1.23 हैक्ट. , खसरा सं. 151 रकबा 1.02 हैक्ट., खसरा संख्या 179 रकबा 0.95 हैक्ट., खसरा सं. 180 रकबा 0.03 हैक्ट. गै. मु. चाह , खसरा सं. 181 रकबा 1.24 हैक्ट., खसरा सं. 410

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

रकबा 0.09 हैक्ट., कुल किता 6 कुल रकबा 4.56 हैक्ट. ग्राम खेडलीदेवजी पटवार क्षेत्र पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है।

वादी व प्रतिवादीगण आपस में रिश्तेदार है वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण कृषिभूमियों का एक मात्र खातेदार कृषक वादी ही था लेकिन 4 माह पूर्व वादी ने वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खसरा सं 179 रकबा 0.95 हैक्ट., खसरा सं. 180 रकबा 0.03 हैक्ट. में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर विकय पत्र बेचान कर दी थी तथा नामान्तरण संख्या 249 के अनुसार उक्त विकय शुद्धा कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ है।

खसरा सं. 150 रकबा 1.23 हैक्ट. खसरा सं. 151 रकबा 1.02 हैक्ट., खसरा सं. 180 रकबा 0.03 हैक्ट. का हिस्सा 1/2 व खसरा सं. 181 रकबा 1.24 हैक्ट., व खसरा सं. 410 रकबा 0. 09 हैक्ट. का वादी एक मात्र खातेदार कृषक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त सम्पूर्ण भूमियों पर एक मात्र वादी का कब्जा कास्त चला आ रहा है और वर्तमान में भी उक्त कृषिभूमियों पर वादी ही काबिज है।

प्रतिवादीगण के खाते व कब्जे कास्त की कृषिभूमि 179 के दक्षिण की ओर वादी के खाते व कब्जे काश्त की कृषिभूमि खसरा सं. 181 व 182 स्थित है। प्रतिवादीगण दिनांक 15/10/2014 को वादी के खाते व कब्जे काश्त की कृषिभूमि खसरा सं. 181 व 182 के पश्चिम की तरफ दो बीघा भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हो गये। प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर कृषिभूमि खसरा सं. 181 व 182 की पश्चिम मेड की ओर दो बीघा भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है।

यह की प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र में वर्णित कृषिभूमियां खसरा सं. 181 व 182 की पश्चिम की ओर की भूमि पर व उक्त खसरा नम्बरान के किसी भी भू–भाग पर वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही अन्य व्यक्तियों से उत्पन्न करावे। वादी को बल पूर्वक उक्त भूमि पर से बेदखल नहीं करे।

यह की प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि 181 व 182 को काश्त करने फसल बोने, उपज प्राप्त करने में वादी को किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्ध जारी फरमायी जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र पी.डब्ल्यू.1 स्वंय वादी गोबरीलाल तथा पी.डब्ल्यू.2 गवाह हरिराम आ. मथुरालाल का शपथपत्र पेश किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय पापडी में पेश हुई। स्वयं वादी उपस्थित हुआ वकील वादी द्वारा एकपक्षीय बहस की गई। वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद विषयक आराजी वादी की खातेदारी मय दर्ज है। वादी उसके पिता के समय से ही उक्त कृषिभूमि पर काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादी के खाते की कृषि भूमि खसरा सं. 181 व 182 के पश्चिम की तरफ 2 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। दिनांक 15.10.2014 को प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा करने की धमकी दी। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करे

ण्ड अधिकारी
डेरी (बून्दी)

कि वाद वर्णित आराजी खसरा सं. 181 व 182 के पश्चिम की ओर की भूमि पर प्रतिवादीगण वादी के कब्जाकाश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2067 –2070 ग्राम खेडलीदेवजी के खसरा सं. 181 वादी के खातेदारी में दर्ज है। खसरा गिरदावरी में संवत 2073 में खसरा सं. 181 में उडद व गेहू की फसल दर्ज है। इस प्रकार खसरा सं. 181 का वादी खातेदार है तथा वादी का कब्जाकाश्त है। वादी द्वारा वादपत्र की प्रार्थना में खसरा सं. 181 व 182 के संदर्भ में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। लेकिन वादी द्वारा ख. सं. 182 के संदर्भ में कोई दस्तावेज साक्ष्य नहीं किया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादी का वादपत्र केवल ख. सं. 181 पर ही साबित होता है। खसरा सं. 182 के संदर्भ में वादी का वाद सिद्ध नही हुआ है। अतः उक्त विवेचन उपरान्त न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है–

आदेश

वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 181 रकबा 1.24 हैक्ट. वाके ग्राम खेडलीदेवजी पटवार हलका पापडी के किसी भी भू–भाग पर किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न ना करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास सुश्री गरिमा लाम्बा R.A.S.

1 शिवजीलाल पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी खेड़ली देवजी तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
वादी

बनाम

1 लड्डूलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी खेड़ली देवजी तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह जिला बून्दी

PT-D 2.

दावा बाबत 188 92 ए आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर 65/दावा/14 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी बी.एल. बीडा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 181 रकबा 1.24 हैक्टर वाके ग्राम खेड़ली देवजी पटवार हल्का पापड़ी के किसी भी भू भाग पर किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न ना करे।

निज................ मुबलिग................ बाबत................ खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................ का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24-5 माह 18

सन................ को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. छोटूलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी खेड़ली हेवजी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

3. मुकुटबिहारी पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी खेड़ली हेवजी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

4. राजेन्द्रकुमार पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी खेड़ली हेवजी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)